विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-30/15

मेसर्स राजेन्द्र गृह उद्योग — आवेदक
प्रो. श्री राजेन्द्र चत्तर
बी–75, अलकापुरी,
रतलाम म.प्र.

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (शहर) संभाग — अनावेदक
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
रतलाम म.प्र.

आदेश

(दिनांक 18.03.2016 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0314215 मेसर्स राजेन्द्र गृह उद्योग विरूद्ध कार्यपालन यंत्री (शहर) संभाग, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. रतलाम में पारित आदेश दिनांक 21.11.2015 के विरूद्ध आवेदक की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–30/15 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को अंतिम बार दिनांक 8.3.2016 को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 तर्क के दौरान आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 7.5 हार्सपावर का विद्युत कनेक्शन लिया गया था जिससे कि वे मसाला उद्योग चलाते हैं। अप्रैल 2015 से अनावेदक द्वारा यह बताकर कि उनके विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध स्वीकृत भार से अधिक डिमाण्ड रिकार्ड हो रही है इसलिए पैनल बिलिंग की जा रही है।

04 आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह भी बताया कि निर्धारित टैरिफ के अनुसार न्यूनतम 280 यूनिट प्रतिमाह का बिल दिया जाना है परन्तु उनके यहॉ प्रतिमाह न्यूनतम खपत के बराबर भी खपत नहीं होती। अनावेदक द्वारा छोटे उद्योग पर इस तरह की पैनल बिलिंग करने पर आवेदक उद्योग चलाने लायक की स्थिति में भी नहीं रहा। अतः इस संबंध में राहत प्रदान करने का अनुरोध किया है।

05 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि उनके परिसर का अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारी द्वारा कई बार भौतिक सत्यापन भी किया गया तथा सत्यापन में स्वीकृत भार के अनुरूप ही भार संयोजित पाया गया।

06 अनावेदक द्वारा बताया गया कि मार्च 2015 से अगस्त 2015 की अवधि में आवेदक के यहॉ स्वीकृत संयोजित भार से अधिक एम.डी. रिकार्ड हो रही है जो कि आवेदक द्वारा अधिक लोड लेने के कारण ही हो सकती है। इस संबंध में अनावेदक द्वारा मार्च 2015 से अगस्त 2015 की एमआरआई का विवरण प्रस्तुत किया।

07 अनावेदक द्वारा प्रस्तुत स्टेटमेंट (ओई–1) को प्रथम दृष्टया देखने पर यह पाया गया कि दर्ज हुई एम.डी. में काफी उतार–चढ़ाव है जो कि संयोजित भार से मेल नहीं खाता। अतः अनावेदक को अगली तिथि में उपरोक्त विवादित माहों की प्रत्येक दिन व प्रत्येक घंटे में दर्ज की गई एमआरआई रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

08 अनावेदक द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि आवेदक की शिकायत पर उनके परिसर का 2–3 बार भौतिक सत्यापन किया गया परन्तु हर बार परिसर में 7.5 हार्सपावर की मोटर ही स्थापित मिली तथा परिसर का संयोजित भार स्वीकृत भार से अधिक नहीं पाया गया।

09 अनावेदक द्वारा दिनांक 10.2.2016 को अगस्त–सितंबर 2015 एवं जनवरी–फरवरी 2015 में दर्ज एम.डी. की पुष्टि हेतु एमआरआई प्रस्तुत की (ओई–2 एवं ओई–3) । अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदक की दर्ज होने वाली एमडी की पुष्टि हेतु उनके द्वारा एक चैक मीटर दिनांक 2.2.2016 से 8.2.2016 की अवधि में लगाया गया जिसमें भी खपत आवेदक के परिसर में लगे मीटर के अनुसार ही एमडी दर्ज की गई। दिनांक 26.8.2015 से 18.9.2015 की अवधि की एमआरआई के अवलोकन करने पर पाया गया कि अधिकतम एमडी 6 किलोवाट दिनांक 2.9.2015 को प्रातः 10.30 से 10.45 बजे के बीच में दर्ज हुई तथा इस तारीख में प्रातः 10.45 से 11 बजे के बीच एमडी 2.2 किलोवाट दर्ज हुई। इसी प्रकार दिनांक 12.1.2016 से 4.2.2016 तक की अवधि में अधिकतम एमडी 8.7 किलोवाट दिनांक 30.1.2016 को प्रातः 9.45 से 10.00 बजे के बीच दर्ज हुई तथा इसी तिथि में अन्य टाईम ब्लाक (15 मिनिट) प्रातः 7.30 से 10.45 बजे के बीच क्रमशः 4.5 किलोवाट, 4.1, 5.4, 7.6, 8.6, 7.8, 2.2, .40, 6.56, 8.76, 8.04, 7.8 एवं 6.0 दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार माह जनवरी–फरवरी के लिए प्रस्तुत एमआरआई में भी दर्ज की गई एमडी में काफी उतार–चढ़ाव है। इससे स्पष्ट है कि मीटर द्वारा दर्ज की जा रही एमडी में एकरूपता नहीं है तथा किसी स्थिति में भी संयोजित भार 7.5 हार्सपावर से अधिक एमडी रिकार्ड नहीं हो सकती। क्योंकि आवेदक के परिसर में एक ही मोटर स्थापित है जिसकी क्षमता 7.5 हार्सपावर है।

10 आवेदक के परिसर में स्थापित मोटर अधिक क्षमता की होने की शंका की पुष्टि हेतु परिसर में स्थापित मोटर का परीक्षण किसी स्वतंत्र प्रयोगशाला में करवाए जाने की सलाह पर आवेदक द्वारा अपनी सहमति दी गई। आवेदक की सहमति उपरांत अनावेदक को निर्देशित किया गया कि वे आवेदक की मोटर का परीक्षण किसी शासकीय तकनीकि संस्थान में करवाएं जिसके परीक्षण का व्यय आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा।

11 दिनांक 21.2.2016 को अनावेदक की ओर से सुनवाई में उपस्थित श्री पी.आर. कुलकर्णी, ए.ई. द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक के परिसर की मोटर का परीक्षण जावरा शासकीय पोलिटेक्निक कॉलेज में करवाया जा चुका है परन्तु परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है। अनावेदक को उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर अगली तिथि में आवेदक के विद्युत कनेक्शन की नवीनतम एमआरआई रिपोर्ट एवं परिसार में संयोजित भार का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

12 अनावेदक द्वारा दिनांक 17.2.2016 से 1.3.2016 की अवधि की प्रस्तुत एमआरआई (ओई–4) में 15–15 मिनिट के इंटरवल से दर्ज की गई एमडी के अनुसार अधिकतम एमडी 8.2 किलोवाट दिनांक 19.2.2016 को प्रातः 8.45 से 9.00 बजे के बीच दर्ज हुई तथा इसी दिनांक को प्रातः 8.30 से 8.45 के बीच 5.3 किलोवाट एमडी दर्ज हुई।

13 दिनांक 8.3.2016 को अनावेदक द्वारा जाबरा पोलिटेक्निक कालेज से मोटर की परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें परिसर में स्थापित मोटर 7.5 हार्सपावर का होना पाया गया। (ओई–5) तथा दिनांक 1.3.2016 को आवेदक के परिसर का भौतिक सत्यापन करने पर 7.5 हार्सपावर की मोटर एवं सिर्फ एक ट्यूबलाईट 40 वाट की लगी पायी गई तथा कुल संयोजित भार 5.99 किलोवाट पाया गया। (ओई–6)

14 दिनांक 24.2.2016 को प्रातः 7.30 से 10.30 की अवधि में (3 घंटे) क्रमशः 15–15 मिनिट के अंतराल में क्रमशः 2.16 किलोवाट, 2.72, 1.80, 1.40, 4.6, 4.3, 6.72, 4.96, 3.36, 3.20, 6.24 एवं 3.08 किलोवाट दर्ज हुई। पूरे माह की एमआरआई के अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि दर्ज की गई एमडी में एकरूपता नहीं है एवं सिर्फ 15 मिनिट के इंटरवल में मीटर द्वारा अलग–अलग एमडी दर्ज की जा रही है।

15 आवेदक द्वारा पुनः अवगत कराया गया कि मार्च से जून माह में क्रमशः 10.5 किलोवाट (14 हार्सपावर),11.9 किलोवाट (15 हार्सपावर), 9.2 किलोवाट (12 हार्सपावर), 9 किलोवा (12 हार्सपावर) भार के अनुसार पैनल बिलिंग की गई जो कि संयोजित भार 7.5 हार्सपावर से लगभग दोगुना है।

आवेदक तथा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं दस्तावेजों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि–

अ आवेदक द्वारा प्रतिदिन लगभग 2 से 3 घंटे ही विद्युत का उपयोग किया जाता है।

ब आवेदक के परिसर का कई बार भौतिक सत्यापन किया गया एवं दिनांक 1.3.2016 को पुनः किये गये भौतिक सत्यापन में भी स्वीकृत भार से अधिक भार नहीं पाया गया।

स अनावेदक द्वारा प्रस्तुत एमआरआई देखने से यह स्पष्ट है कि मीटर द्वारा दर्ज की जा रही एमडी में एकरूपता नहीं है तथा हर 15 मिनिट के इंटरवल में दर्ज की गई एमडी में काफी उतार–चढ़ाव (inconsistency) है।

द अनावेदक द्वारा माह के किसी भी तिथि एवं समय पर अंकित की गई अधिकतम एमडी के आधार पर बिलिंग की जा रही है जो कि आवेदक के परिसर के स्वीकृत संयोजित भार से अधिक है, सर्वथा अनुचित है। क्योंकि आवेदक द्वारा हर 15 मिनिट के इंटरवल में संयोजित भार का परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है।

च आवेदक के परिसर में स्थापित मोटर की क्षमता की पुष्टि हेतु परीक्षण करवाये जाने पर शासकीय पोलिटेक्निक कालेज जावरा द्वारा यही प्रमाणित किया गया कि मोटर की क्षमता 7.5 हार्सपावर है।

छ इस तरह के विवाद के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 में दिये गये प्रावधान का भी अवलोकन किया गया जिसकी कंडिका 6.38 में निम्न प्रावधान दिये गये हैं –

घरेलू श्रेणी के अलावा सभी अन्य प्रकार के उपभोक्ताओं की स्थापनाएं अनुज्ञप्तिधारी के क्षमता निर्धारण (Rating)/पुनः क्षमता निर्धारण (Rerating) की पात्रता रखेंगी। यदि उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निष्पादित क्षमता–निधार्र ण (Rating) से संतुष्ट न हो तो वह अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपकरण का भार निर्धारित करने हेतु अनुमोदित किये गये शासकीय अभियांत्रिकी संस्थानों में से किसी एक से अपने उपकरण का क्षमता–निर्धारण (रेटिंग) करा सकेगा। भार निर्धारित करने की प्रक्रिया के दौरान उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी, दोनों ही अपने प्रतिनिधि को संस्थान में उपस्थित रहने के लिये प्राधिकृत कर सकेंगे संस्थान द्वारा प्रदान किये जाने वाले अन्तिम प्रतिवेदन के साथ किये गये परीक्षण(ों) का विवरण संलग्न किया जाएगा। संस्थान द्वारा निर्धारित की गई क्षमता (रेटिंग) अंतिमतः मान्य होगी तथा उपभोक्ता और अनुज्ञप्तिधारी दोनों को स्वीकार करनी होगी।

16 अतः उपरोक्त प्रावधान के अनुसार यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता के परिसर में स्थापित उपकरण की क्षमता के संबंध में कोई विवाद हो, तब ऐसी स्थिति में शासकीय संस्थान द्वारा निर्धारित की गई क्षमता अंतिमतः मान्य होगी एवं उपभोक्ता और अनुज्ञप्तिधारी दोनों को स्वीकार करनी होगी। अतः इस प्रकरण में शासकीय पोलिटेक्निक कालेज जावरा द्वारा परीक्षण रिपोर्ट जिसमें कि आवेदक के यहॉ स्थापित मोटर की क्षमता 7.5 होर्सपावर के अनुसार ही अनावेदक द्वार आवेदक को बिल दिये जाने चाहिए।

अतः उपरोक्त तर्क एवं विवेचन के आधार पर यह आदेशित किया जाता है कि–

ए अनावेदक आवेदक को उनके विद्युत कनेक्शन के लिए स्वीकृत भार के अनुसार ही प्रतिमाह बिलिंग करे जब तक कि अनावेदक के परिसर में कोई अनियमितता अथवा अधिक भार नहीं पाया जाता।

बी मार्च 2015 से मीटर की एमआरआई के अनुसार दर्ज एमडी के आधार पर की गई पैनल बिलिंग को निरस्त कर आवेदक के परिसर का स्वीकृत संयोजित भार के अनुसार विद्युत देयकों को संशोधित करें।

सी अनावेदक द्वारा आवेदक के वसूल की गई अधिक राशि का समायोजन आवेदक के आगामी विद्युत देयकों में किया जाकर आदेश के प्रतिपालन रिपोर्ट से लोकपाल कार्यालय को अवगत कराएं।

17 फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है।

18 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल